

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

--::--

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० ०१/स्था-०१-१३२/०३ - १९० | वि०

रॉची, दिनांक १३-११-२०१३

पूर्व के निर्गत आदेश को संशोधित करते हुए वित्त विभाग में पदस्थापित पदाधिकारियों के बीच कार्यों का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है :-

1.	विनोद चन्द्र झा, संयुक्त सचिव	(क) पूर्व से आवंटित कार्य	<p>प्रशाखा 11 से 15 :- प्रशासी पदवर्ग समिति, वेतन संरक्षण, वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन, सेवा शर्त निर्धारण, विनियमन वेतन निर्धारण एवं सत्यापन, विभिन्न भत्ता प्रोन्नति एवं अन्य सम्बद्ध कार्य</p> <p>प्रशाखा 17 से 20 :- वित्त नियमावली, कोषागार संहिता निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी धोषित करना, वित्तीय नियंत्रण, द्रुतादेश मितव्यिता परिपत्र, संपत्ति बट्टवारे से संबंधित कार्य, कार्यपालिका नियमावली के नियम 12 के अधीन वित्त विभाग द्वारा किये जाने वाले सामान्य प्रयोजन, कोषागार - निदेशालय एवं स्थापना</p> <p>प्रशाखा 25 एवं 16 :- साधन स्रोत, आयोजन, ऋण राजस्व, आय पर कर, वित्तीय एवं लेखा विषयक नियम विनियम बनाना, संहिता तैयार करना एवं उसका निर्वाचन तथा वित्तीय क्षेत्र में अन्य प्रश्नों का निर्वाचन, लोक उद्यम व्यूरो से संबंधित कार्य, व्यापार नियम आदि</p> <p>प्रशाखा 26 से 29 :- बजट से संबंधित समस्त कार्य</p> <p>प्रशाखा 30 :- अर्थोपाय (केरेंसी, सिवकाधारी और ग्राह्य मुद्रा, संघीय राष्ट्रीय ऋण, राज्य सरकार द्वारा लिया गया उधार, ऋण प्रदान करना, राज्य का लोक ऋण</p> <p>प्रशाखा 31 :- व्यय प्रबंधन, मूल्यांकन, डाटा संग्रहण, वित्त आयोग, कोषागारों के मासिक लेखा कार्यकलाप एवं अनुश्रवण</p> <p>प्रशाखा 40 :- विधि कोषांग संसूचन संबंधी कार्य</p>
		(ख) नव आवंटित कार्य	
2.	श्री अरुण कुमार सिंह, उप सचिव	(क) पूर्व से आवंटित कार्य	<p>प्रशाखा 11 से 15 :- प्रशासी पदवर्ग समिति, वेतन संरक्षण, वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन, सेवा शर्त निर्धारण, विनियमन वेतन निर्धारण एवं सत्यापन, विभिन्न भत्ता प्रोन्नति एवं अन्य सम्बद्ध कार्य</p>

		(ख) नव आवंटित कार्य	<p>प्रशाखा 17 से 20 :- वित्त नियमावली, कोषागार संहिता निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी धोषित करना, वित्तीय नियंत्रण, दुतादेश मितव्ययिता परिपत्र, संपत्ति बंटवारे से संबंधित कार्य, कार्यपालिका नियमावली के नियम 12 के अधीन वित्त विभाग द्वारा किये जाने वाले सामान्य प्रयोजन, कोषागार निदेशालय एवं स्थापना</p> <p>प्रशाखा 37 से 39 :- वित्त विभाग का आंतरिक अंकेक्षण (स्थापना एवं अन्य सभी कार्य)</p> <p>प्रशाखा 5 से 6 :- राजकीय मुद्रणालय की स्थापना एवं अन्य सभी कार्य</p>
3.	श्री अविनाश कुमार सिंह, उप सचिव	नव कार्य	<p>प्रशाखा 1 से 2 :- मुख्यालय (स्थापना) संबंधी कार्य</p> <p>प्रशाखा 3 से 4 :- लेखा (मुख्यालय)</p> <p>प्रशाखा 7 से 8 :- अग्रिम (विभिन्न विभाग गृह निर्माण अग्रिम, मोटरकार अग्रिम, मोटर सायकिल अग्रिम से संबंधित कार्य</p> <p>प्रशाखा 9 से 10 :- संसदीय कार्य, विभिन्न विभागों के क्रय से संबंधित संचिकाओं का निष्पादन, किराया निर्धारण, पेशन, ग्रुप बीमा</p> <p>प्रशाखा 21 से 22 :- इन्डेप्ड पदाधिकारी धोषित करना, महालेखाकार (लेखा नियंत्रक); अंकेक्षण संबंधी कार्य, लोक लेखा समिति, अपलेखन, लेखा विनियोग तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन, गबन एवं क्षति</p> <p>प्रशाखा 23 से 24 :- स्कीम (विभिन्न विभागों के योजना एवं गैर योजना से संबंधित कार्य)</p> <p>प्रशाखा 32 से 36 :- राज्य सेवा वर्ग-2 के पदाधिकारियों की स्थापना से संबंधित कार्य ।</p>

दोनों उप सचिव नव आवंटित कार्यों से संबंधित संचिका सीधे सचिव महोदय को उपस्थापित करेंगे ।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है ।

हो/-

(रोहित कुमार दास)

सरकार के अवर सचिव ।

रॉबी दिनांक - 13-11-2013

ज्ञापांक 3123/सि०

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, वित्त/संबंधित उप सचिव, वित्त/वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी एवं सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

20/11/13
(रोहित कुमार दास)

सरकार के अवर सचिव ।

॥ स्थायी आदेश ॥

कार्यपालिका नियमावली के नियम -21 में सरकारी विभागों में कार्य विषय साधारणतया प्रभारी मंत्री या उनके प्राधिकार से निबटाये जाने का प्रावधान है। विभागों में निषयों के निबटाव के लिये प्रभारी मंत्री द्वारा स्थायी आदेशों के माध्यम से यथोचित निर्देश दिये जाने का भी प्रावधान है। इसी परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग में विभिन्न श्रेणियों के विषय किन स्तरों पर अंतिम रूप से निबटाये जा सकते हैं, इस संबंध में सांगोपांग विचारोपरांत मंत्री, वित्त विभाग के आदेश के अधीन अपर वित्त आयुक्त से उप सचिव स्तर के विभागीय पदाधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों के विषयों पर अंतिम कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत निम्न प्रकार किया जाता है :—

(1) अपर वित्त आयुक्त—

- (i) सचिव, वित्त के समतुल्य प्रशाखा—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 32—39 एवं 41—45 का निष्पादित करेंगी।
- (ii) द्वितीय कालबद्ध सम्पुष्टि (सचिव के समतुल्य)
- (iii) ₹० ५ (पांच) लाख तक लेखा शाखा से संबंधित विषयों पर स्वीकृति।
- (iv) निदेशक, सामान्य भविष्य निधि एवं निदेशक, लोकल फंड ऑफिट का कार्य (नियमित पदस्थापन होने तक)।
- (v) विभागीय कर्मियों के अभ्यावेदनों का निष्पादन।
- (vi) मंत्रिपरिषद् के समक्ष जाने वाले मामले अनिवार्य रूप से सचिव, वित्त के माध्यम से कार्यान्वित होंगे।

(2) संयुक्त सचिव —

- (i) पेंशन रूपांतरण का अंतिम रूप से निष्पादन। (पूर्ण शक्ति प्रत्यायोजित)।
- (ii) विभिन्न विभागों के राज्यादेशों का संसूचन।
- (iii) ₹० 1.5 (डेढ़) लाख तक लेखा शाखा से संबंधित स्वीकृति।
- (iv) विभागीय सभी स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश निर्गत करना।

(3) उप सचिव (प्रभारी लेखा)—

- (i) ₹० ५० (पचास) हजार तक लेखा शाखा से संबंधित स्वीकृति।

उक्त आदेश पूर्व में विभागीय सचिव द्वारा निर्गत आदेश 14/वि०, दिनांक—31.01.2014 एवं 36/वि० सह पठित ज्ञापांक 771/वि० दिनांक 03.03.2014 द्वारा निर्गत आदेश के डेलिगेशन को निर्गत की तिथि से ही आच्छादित करता है।

ह०/-
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह),
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : वि०स्था०-१-१३२/०३..... / रांची, दिनांक..... /

प्रतिलिपि : विभाग के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह),
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : वि०स्था०-१-१३२/०३..... / रांची, दिनांक..... /

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रांची/माननीय मंत्री (वित्त) के आप्त सचिव, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह),
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : वि०स्था०-१-१३२/०३..... / रांची, दिनांक ०३.०३.१४, /

प्रतिलिपि : ~~नोडल~~ पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, झारखण्ड रांची को झारखण्ड गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

Ap/०३/०३/१५
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह),
सरकार के सचिव

पुनर्गठित प्रशाखा में प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों का पदस्थापन

नई प्रशाखा	पुरानी प्रशाखा	प्रशाखा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य	प्रशाखा पदाधिकारी	सहायक
1	1A	मुख्यालय अन्तर्गत राजपत्रित स्थापना (प्रशाखा पदा०/आप्त सचिव एवं उपर के पदाधिकारी) मंत्री स्थापना/ बैठक/ प्रशिक्षण/ मनोनयन/चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधित परामर्श/रिपोर्ट/मानदेय/विविध कार्य	श्री अनिल कुमार सिन्हा	श्री अभय कुमार दास
2	1B	मुख्यालय अन्तर्गत अराजपत्रित स्थापना (समूह घ से सहायक/निजी सहायक तक) संविदा कर्मी/वर्दी/त्योहार अग्रिम/एल०टी०सी०, गृह रियायत यात्रा/क्रय एवं भंडार संधारण/विविध कार्य	श्री अनिल कुमार सिन्हा	श्री अनुज कुमार दास
3	2A	लेखा-1 (राजपत्रित पदाधिकारियों के विपत्र संबंधित सभी कार्य, विभागीय वाहन के रख-रखाव एवं ईथन आपूर्ति, वित्त विभाग के अंकेक्षण संबंधित सभी कार्य	श्री रतन कुमार चौधरी	श्री उत्तम ऋषि मिंज
4	2B	लेखा-2 (अराजपत्रित पदाधिकारियों के विपत्र संबंधित सभी कार्य, विभागीय दूरभाष संबंधित कार्य, राज्य गठन के पूर्व के लेखा संबंधित अभिलेख का संधारण)	श्री रतन कुमार चौधरी	श्री त्रिलोचन सिंह मुंडा
5	3A	राजकीय मुद्रणालय के कर्मियों का स्थापना/मुद्रणालय अन्तर्गत क्रय व इन्डेंट आदि	श्री राधवेन्द्र झा	श्री शीतल उर्हव
6	3B	राजकीय मुद्रणालय के अधीन लेखा शाखा का कार्य/प्रेस मशीन का रखरखाव/गजट व पुस्तक का संधारण व बिक्री का कार्य	श्रीमती वन्दना कुमारी	श्री आकाश राज
7	4A	गृह निर्माण अग्रिम/मोटर कार-मोटर सायकिल अग्रिम संबंधी कार्य (विभाग का निर्धारण प्रशाखा पदाधिकारी के स्तर से)	श्री प्रभुनाथ शर्मा	श्री अखण्ड कुमार उर्हव
8	4B	गृह निर्माण अग्रिम/मोटर कार-मोटर सायकिल अग्रिम संबंधी कार्य (विभाग का निर्धारण प्रशाखा पदाधिकारी के स्तर से)	श्री मणीजी सिंह	श्री दिलीप कु० सिंह
9	5A	पेशन/अंशदायी पेशन योजना संबंधी नीति एवं परामर्श/संबंधित न्यायिक मामले	श्री राजेश कुमार	सुश्री सपना रुबी बागे
10	5B	ग्रुप बीमा/अनुग्रह अनुदान संबंधी नीति एवं परामर्श/संबंधी न्यायिक मामले	श्री राजेश कुमार	श्री संदीप भगत
11	6A	वेतनमान स्वीकृति/फिटमेंट कमिटी/अपीलीय कमिटी संबंधी नीति एवं परामर्श/संबंधित न्यायिक मामले/प्रशासी पदवर्ग समिति	श्री प्रदीप कुमार	श्री संजय कुमार सिन्हा
12	6B	सेवा नियमावली/विभिन्न तरह के भत्ते संबंधी नीति एवं परामर्श/संबंधित न्यायिक मामले	श्री अश्विनी कु० लाल दास	श्री संजय कु० महतो
13	6C	कालबद्ध प्रोन्नति/ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०/ वेतन निर्धारण/ सत्यापन संबंधी सभी मामले (नीतिगत एवं परामर्श)/संबंधित न्यायिक मामले (विभाग का निर्धारण अवर सचिव के स्तर से)	श्री चन्द्रशेखर गुप्ता	श्री सुजीत कु० सिंह
14	6D	कालबद्ध प्रोन्नति/ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०/ वेतन निर्धारण/सत्यापन संबंधी सभी मामले (नीतिगत एवं परामर्श)/संबंधित न्यायिक मामले (विभाग का निर्धारण अवर सचिव के स्तर से)	श्री चन्द्रशेखर गुप्ता	श्री संतोष कु० सिंह
15	6E	झारखण्ड सेवा संहिता से जुड़े सेवाशर्त/ सेवा विनियमन/ वेतन संरक्षण/ अवकाश आदि मामले नीति एवं परामर्श संबंधी न्यायिक मामले	श्री प्रभुनाथ शर्मा	श्री शक्ति कुमार
16	6F	लोक उद्यम व्यूरो संबंधी समस्त कार्य	श्री उमाशंकर प्रसाद पाल	श्री उदय कुमार
17	7A	कोषागार स्थापना (कोषागार कर्मियों का वेतनादि, बजट, आबंटन/कोषागार पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/कोषागार कर्मियों पर आरोप)	श्री राजकुमार श्रीवास्तव	श्री कौशल किशोर राय
18	7B	लेखा सेवा का नियंत्रण व स्थापना/आस्ति एवं दायित्व/निगरानी कोषांग (राज्यकर्मियों के विस्तर प्राप्त होने वाले परिवाद पत्रों की जाँच)/भविष्य निधि नियमावली (नीति व परामर्श)	श्री राजकुमार श्रीवास्तव	श्री निर्मल कुमार
19	7C	वित्तीय प्रबंधन (वित्तीय नियमावली), वित्तीय नियमावली की व्याख्या, वित्तीय नियमों में संशोधन, वित्तीय नियमावली के नियमों का शिथिलीकरण, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार अधिसूचित करने का कार्य	श्री उमाशंकर प्रसाद पाल	श्री प्रकाश पुरती
20	7D	वित्तीय प्रबंधन (कोषागार नियमावली) कोषागार नियमावली की व्याख्या, नियमों में संशोधन या शिथिलीकरण के नीतिगत व परामर्श के मामले/ए०सी०डी०सी०/पी०एल० सी०डी०/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित करना/ प्राधिकार पत्र/अनुदान व अग्रिम से संबंधित नियम	श्री विनय कुमार वर्णवाल	सुश्री अंजु बिरुली
21	8A	इन्डेंट पदाधिकारी घोषित करना/महालेखाकार (लेखा नियंत्रक) अंकेक्षण संबंधी कार्य/गबन एवं क्षति	श्री विजय कुमार	श्री संतोष कुमार ठाकुर श्री प्रदीप कुमार दास
22	8B	लोक लेखा समिति/अपलेखन/लेखा विनियोग तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन	श्री विजय कुमार	श्री राज बहादुर
23	9A	स्कीम-I विभिन्न विभागों के योजना एवं गैर योजना से संबंधित कार्य/विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत राज्यादेशों का संसूचन (विभाग का निर्धारण अवर सचिव के स्तर से)	श्री विनय कुमार वर्णवाल	श्री अमोद कुमार
24	9B	स्कीम-II विभिन्न विभागों के योजना एवं गैर योजना से संबंधित कार्य/विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत राज्यादेशों का संसूचन (विभाग का निर्धारण अवर सचिव के स्तर से)	श्री रवि शंकर	श्री दशरथ प्रसाद
25	10	साधनस्त्रोत/आयोजन/ऋण राजस्व/आय पर कर/वित्तीय एवं लेखा विषयक नियम विनियम बनाना/संहिता तैयार करना एवं उसका निर्वाचन तथा वित्तीय क्षेत्र में अन्यान्य प्रश्नों का निर्वाचन/व्यापार नियम	श्री अजय कुमार राय	सुश्री पुष्पा दुडू श्री दिवाकर गुप्ता
26	11A	बजट- 1 (मांग संख्या-1 से 15 से संबंधित कार्य)	श्री सुरजीत मुखर्जी	श्री बिनोद बाड़ा श्री शिव प्रकाश
27	11B	बजट- 2 (मांग संख्या-16 से 30 से संबंधित कार्य)	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद	श्री श्याम पुकार दास
28	12A	बजट- 3 (मांग संख्या-31 से 45 से संबंधित कार्य)	श्री बिरेन्द्र कुमार	श्री दिलीप तिवारी
29	12B	बजट- 4 (मांग संख्या-46 से 60 से संबंधित कार्य)	श्री रंगनाथ तिवारी	श्री मुकुल राहुल एकका
30	13	अर्थोपाय (करेन्सी, सिवकाकारी और ग्राह्य मुद्रा)/संधीय राष्ट्रीय ऋण/राज्य सरकार द्वारा लिया गया उधार/ऋण प्रदान करना/राज्य का लोक ऋण	श्री उमाशंकर प्रसाद पाल	श्री धीरज कुमार
31	14	व्यय प्रबंधन/मूल्यांकन/डाटा संग्रहण/वित्त आयोग/कोषागार के मासिक लेखा कार्यकलाप एवं अनुश्रवण	श्री रंगनाथ तिवारी	श्री अमित कच्छप

32	15A	वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग राज्य सेवा वर्ग-2 के पदाधिकारियों की स्थापना से संबंधित कार्य (पुलिस सेवा, वित्त सेवा, वन सेवा, कारा सेवा, अभियोजन सेवा, प्रोवेशन सेवा, अग्निशम सेवा, फोरेंसिक सेवा, अन्यान्य सेवा)	श्री सुरजीत मुखर्जी	सुश्री अमिता तिर्की
33	15B	वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग राज्य सेवा वर्ग-2 के पदाधिकारियों की स्थापना से संबंधित कार्य (प्रशासनिक सेवा, बन्दोवस्त सेवा, उत्पाद सेवा, सहकारिता सेवा, खनन सेवा, उद्योग सेवा, भूतत्व सेवा, अन्यान्य सेवा)	श्री अजय कुमार राय	श्री हरि माधव (अतिरिक्त प्रभार)
34	15C	वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग राज्य सेवा वर्ग-2 के पदाधिकारियों की स्थापना से संबंधित कार्य (अभियंत्रण सेवा, शिक्षा सेवा, निवंधन सेवा, सूचना सेवा, योजना सेवा, सचिवालय सेवा, आशुलिपिकीय सेवा, अन्यान्य सेवा)	श्री बिरेन्द्र कुमार	श्री हरि माधव
35	15D	वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग राज्य सेवा वर्ग-2 के पदाधिकारियों की स्थापना से संबंधित कार्य (चिकित्सा सेवा, आयुष चिकित्सा सेवा, देशी चिकित्सा सेवा, श्रम सेवा, नियोजन सेवा, श्रम तकनिकी सेवा, श्रम सामाजिक सुरक्षा सेवा, अन्यान्य सेवा)	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद	श्री विनोद बाड़ा (अतिरिक्त प्रभार)
36	15E	वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग राज्य सेवा वर्ग-2 के पदाधिकारियों की स्थापना से संबंधित कार्य (पशुपालन चिकित्सा सेवा, पशुपालन गव्य सेवा, पशुपालन मत्स्य सेवा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा, कृषि सेवा, सांख्यिकी सेवा, विधान सभा सचिवालय, निर्वाचन सेवा, अन्यान्य सेवा)	श्री अश्विनी कु० लाल दास	श्री विनोद बाड़ा
37	16A	वित्त (अंकेक्षण) शाखा-I (कार्य का आबंटन मुख्य लेखा नियंत्रक/प्रभारी संयुक्त सचिव के द्वारा किया जायेगा)	श्री राधवेन्द्र झा	श्री पवन कुमार
38	16B	वित्त (अंकेक्षण) शाखा-II (कार्य का आबंटन मुख्य लेखा नियंत्रक/प्रभारी संयुक्त सचिव के द्वारा किया जायेगा)	श्री मणीजी सिंह	श्री सुरेन्द्र कुमार
39	16C	वित्त (अंकेक्षण) शाखा-III (कार्य का आबंटन मुख्य लेखा नियंत्रक/प्रभारी संयुक्त सचिव के द्वारा किया जायेगा)	श्री जागो चौधरी	श्री विकास कुमार
40	17	विधि कोषांग (विधि संबंधी सभी मामले)	श्री रवि शंकर	सुश्री रुही पूनम श्री सुनील कुमार
41	18A	भविष्य निधि निदेशालय-I (कार्य का आबंटन भविष्य निधि निदेशक द्वारा)	श्री अरूण कुमार	श्री अविनाश कुमार
42	18B	भविष्य निधि निदेशालय-II (कार्य का आबंटन भविष्य निधि निदेशक द्वारा)	श्री अरूण कुमार	श्री अविनाश कुमार
43	18C	भविष्य निधि निदेशालय-III (कार्य का आबंटन भविष्य निधि निदेशक द्वारा)	श्री निर्मल पाल	श्री अविनाश कुमार
44	19	जन सूचना कोषांग/ सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्य/विभागीय आदेश का वेबसाइट पर प्रदर्शन /विभागीय परिपत्र संग्रह (वार्षिक) प्रकाशित करना	श्री विमलेश कुमार पाण्डेय	श्रीमती लक्ष्मी बानरा
45	20	लेखा प्रशिक्षण विद्यालय (स्थापना एवं प्रशिक्षण)	श्री निर्मल पाल	श्री संतोष कुमार ठाकुर (अतिरिक्त प्रभार)